



NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NSKFDC)

(A Govt. of India Undertaking under the Ministry of Social Justice & Empowerment)

NTSC, 3rd Floor, E-Block, NSIC, Okhla Industrial Estate- III, New Delhi-110020

Telephone Nos- +011-26382476, 26382477, 26382478 Fax- 011-26382479

E-mail : nskfdc-msje@nic.in Website: <http://www.nskfdc.nic.in>



ISO 9001:2008

BACKGROUND:

National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC) is a wholly owned Govt. of India Undertaking under the Ministry of Social Justice & Empowerment, set up on 24th January 1997 as a Company “Not for Profit” under Section 8 of the Companies Act, 2013. It is in operation since October, 1997, as an Apex Corporation for the all-round socio-economic upliftment of the Safai Karamcharis (including Waste Pickers), Manual Scavengers and their dependents throughout the Country through its various loan and non-loan-based schemes. The loan schemes are implemented through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the State Governments and Regional Rural Banks (RRBs)/Public Sector Banks (PSBs) with whom NSKFDC has executed MoA in this regard.

LOAN SCHEMES

NSKFDC is implementing various loan schemes for its target group under which financial assistance is provided at concessional rates of interest, as per following details: -

S. No.	Name of the scheme	Maximum Limit (upto)	Rate of interest to		Repayment period (upto)
			Channel Agency	Beneficiaries	
1	General Term Loan (GTL)	Upto Rs.10.00 lac	4% p.a.	8% p.a.	10 years*
		Above Rs.10.00 Lac & upto Rs.15.00 lac	4.5% p.a.	9% p.a.	
2	Mahila Adhikarita Yojana (MAY)	Rs.2.00 lacs	3% p.a.	7% p.a.	5 years*
3	Mahila Samridhi Yojana (MSY)	Rs.1.00 lac	2% p.a.	6% p.a.	3 years*
4	Micro Credit Finance (MCF)	Rs.1.00 lac	3% p.a.	7% p.a.	3 years*
5	Education loan (EL) [The interest on Education Loan (for study in India) is reimbursable under the scheme of the Ministry of Education, Govt. of India to the beneficiaries whose family annual income is upto Rs.4.50 lac per annum]	Rs.10.00 lacs (For study in India)	2% p.a.	6% p.a. (0.5% rebate for women)	5 years after co-termination of course with moratorium period of one year.
		Rs.10.00 lacs (For study in abroad)	3% p.a.	7% p.a. (0.5% rebate for women)	
6	Sanitary Marts (SM)	Rs.15.00 lacs	3% p.a.	7% p.a. @	10 years*
7	Green Business (GB)	Upto Rs.7.50 lacs	3% p.a.	6% p.a.	10 years***
		Above Rs.7.50 lacs & upto Rs.15.00 lacs	4% p.a.	7% p.a.	
		Above Rs.15.00 lacs & upto Rs.30.00 lacs	4% p.a.	8% p.a.	
8	Scheme for “Pay & Use” community toilets	Rs.25.00 lacs	4% p.a.	8% p.a. @	10 years**

9	Swachhta Udyami Yojana (SUY) (Scheme for procurement of sanitation related equipments/ vehicles)				
a)	Individual/SHG/ JRG/Cooperative	Rs.15.00 lacs (Individual)	3% p.a.	6% p.a. @	7 years*
		Rs.50.00 lacs(SHG/JRG/ Cooperative)			
b)	Private agencies/ contractors engaged by the Urban Local Bodies		4% p.a.	8% p.a. (1% rebate for timely repayment)	
	Swachhta Udyami Yojana (SUY) (Concessional loans to ULBs)				
c)	Municipal Corporation / Jal Boards / Public Health & Engineering Departments/ Cantonment Boards / Railways etc.	Gap funding as concessional loans for various sanitation activities like Municipal Solid Waste Management, Construction of Pay & Use Community/ Public Toilets, Waste to Compost Units, Waste Collection & Segregation units	NA	7% p.a. (1% rebate for timely repayment)	7 years*
		For procurement of sanitation related equipments/vehicles costing maximum upto Rs. 75 Lakhs per unit.	NA	7% p.a. (1% rebate for timely repayment)	

*After implementation period of 120 days and moratorium of 180 days.

** After implementation period of 180 days and moratorium of 180 days.

*** Including a moratorium period of 180 days.

After implementation period of 90 days and moratorium of 90 days.

@1% rebate for women beneficiaries and 0.5% rebate for timely repayment.



राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम)

एनटीएससी, तीसरी मंजिल, ई-ब्लॉक, एनएसआईसी,

ओखला औद्योगिक एस्टेट-III, नई दिल्ली-110020

टेलीफोन नंबर- +011-26382476, 26382477, 26382478 फैक्स- 011-26382479

ई-मेल: nskfdc-msje@nic.in वेबसाइट: <http://www.nskfdc.nic.in>

आईएसओ 9001:2008



पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक "गैर-लाभकारी" कंपनी के रूप में की गई थी। यह अक्टूबर, 1997 से देश भर में सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित), मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अपनी विभिन्न ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं के माध्यम से एक शीर्ष निगम के रूप में कार्यरत है। ऋण योजनाओं को राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिनके साथ एनएसकेएफडीसी ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

ऋण योजनाएं:

एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूह के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

क्रं सं	योजना का नाम	अधिकतम सीमा	ब्याज दर		पुर्णभुगतान
			माध्यम अभकरणों हेतु	लाभार्थी हेतु	
1	मियादी ऋण योजना	रु.10.00लाख तक	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष	10 वर्ष*
		रु.10.00 लाख से अधिक रु. 15.00 लाख तक	4.5% प्रतिवर्ष	9% प्रतिवर्ष	
2	महिला अधिकारिता योजना (मई)	रु. 2.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	5 वर्ष *
3	महिला समृद्धि योजना	रु. 1.00 लाख	2% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष	3 वर्ष*
4	लघु ऋण योजना	रु. 1.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	3 वर्ष*
5	शिक्षा ऋण भारत के अध्ययन के लिए विदेश में अध्ययन के लिए (जिन परिवारों की वार्षिक आय रु. 4.50 लाख तक है उन्हें शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी)	रु.10.00 लाख (भारत में अध्ययन के लिए)	2% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष (0.5% प्रतिशत की छूट महिलाओं के लिए)	पाठ्यक्रम व एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 5 साल तक।
		रु.20.00 लाख (विदेश में अध्ययन के लिए)	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष (0.5% प्रतिशत की छूट महिलाओं के लिए)	
6	सैनिटरी मार्ट योजना	रु.15.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष @	10 वर्ष*
7	हरित व्यवसाय योजना	रु. 7.50 लाख	3% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष	10 वर्ष***
		रु.7.50 लाख से अधिक एवं रु. 15.00 लाख तक	4% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	
		रु.15.00 लाख से अधिक एवं रु. 30.00 लाख तक	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष	
8	भुगतान एवं उपयोग पर आधारित समुदाय शौचालयों के लिए योजना	रु.25.00 लाख	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष. @	10 वर्ष**

9	स्वच्छता उद्यमी योजना - “स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर” (स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद हेतू योजना)				
क	व्यक्ति/स्वय सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह	रू. 15.00 लाख (व्यक्ति) रू. 50.00 लाख (स्वय सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/सहकारी)	3% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष @	7 वर्ष *
ख	नगर निगम/जल बोर्ड/पी.एच.ई.डी./केन्टोमेंट बोर्ड/रेलवे द्वारा नियुक्त निजी एजेंसियां/ठेकेदार।		4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट	
	स्वच्छता उद्यमी योजना (यूएलबी को रियायती ऋण)				
ग	नगर निगम/नगरपालिका/जल बोर्ड/सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/छावनी बोर्ड/रेलवे आदि	विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों जैसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भुगतान एवं उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, अपशिष्ट से खाद बनाने वाली इकाइयां, अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण इकाइयों के लिए रियायती ऋण के रूप में अंतर निधि	NA	7% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट)	7 वर्ष *
		स्वच्छता संबंधी उपकरण/वाहनों की खरीद के लिए, जिनकी लागत अधिकतम 75 लाख रुपये प्रति इकाई तक होगी।	NA	7% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट	

*120 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

** 180 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

*** 180 दिन की स्थगन अवधि सहित।

#90 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 90 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

@ महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की ब्याज में छूट एवं समय पर भुगतान करने पर 0.5 प्रतिशत की ब्याज में छूट।